INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

(2)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म.प्र.

R. 2630-J/13

प्र.क. /13 रिविजन

जगदीश पिता सिद्धनाथ पाटीदार, आयु 50 वर्ष जाति कुलमी निवासी ग्राम टिकोन तहसील नलखेडा जिला शाजापुर म.प्र.

...रिविजनकर्ता

विरूद्व

तेजकरण पिता शिवनारायण जाति कुलमी निवासी ग्राम टिकोन तहसील नलखेडा जिला शाजापुर म.प्र.

.... प्रत्यर्थी

3/6/2013

3536
3/6/2013

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 आदेश दिनांक 29/12/12 न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर रिविजन प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

रिविजनकर्ता की ओर से रिविजन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

।। प्रकरण के तथ्य ।।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रिविजनकर्ता ग्राम टिकोन तहसील नलखेडा जिला शाजापुर के द्वारा तहसील न्यायालय नलखेडा के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि प्रत्यर्थी तेजकरण पिता शिवनारायण निवासी ग्राम टिकोन के आवासीय मकान में से रिविजनकर्ता का मकान एवं बरसाती प्रत्यर्थी के मकान के अंदर से जो जमीन के अंदर पाईप लाईन डली हुई है उससे रिविजनकर्ता का बरसाती पानी और घर का पानी निकलता आ रहा है। जिसको प्रत्यर्थी द्वारा रोक दिया गया है। रिविजनकर्ता का बरसात का पानी व घर का पानी कई वर्षो से निकल रहा है प्रत्यर्थी के द्वारा रोके जाने पर घर के अंदर पानी भर गया है। रिविजनकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को नोटिस दिये जाने के बाद भी रास्ता नही खोला गया उक्त आवेदन पर प्र.क. 100/बी–121/2011–12 प्रकरण दर्ज होकर दिनांक 22/05/12 को नाली को खुला करने का आदेश दिया गया जिस पर से प्रत्यर्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे प्र क. 37/11–12 अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर नलखेडा द्वारा दिनांक 07/07/2012 में आदेश को प्रत्यावर्तीत कर दिया गया, जिस पर से प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई।

इस कारण से असंतुष्ट होकर उक्त रिविजन धारा 05 अवधि विधान के आवेदन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग. 2630–एक / 13 जिला – शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–4–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने इस प्रकरण की विषय वस्तु को म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अधिकार क्षेत्र से बाहर मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । उनका आदेश अपने स्थान पर उचित और न्यायिक है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	